



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं० - 1502 वर्ष 2026

मंजू राय
बनाम

..... याची(गण)

उ०प्र० राज्य तथा 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : चन्द्र भूषण तिवारी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 2

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता को वुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इसमें पारित किये जाने के लिए आदेश के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी /प्रत्यर्थीगण को नोटिस देने से तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभदायक प्रयोजन पूरा नहीं होगा। फिर भी, यदि प्रत्यर्थी/ प्रत्यर्थीगण आदेश द्वारा व्यथित महसूस करता है आदेश के उपांतरण/ परिवर्तन की मांग करने के इसके अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा ईप्सित मूलभूत अनुतोष प्रत्यर्थी सं० 2 नायब तहसीलदार, जलालाबाद, तहसील जखनिया, जिला गाजीपुर को शीघ्रता से मामला सं० 39 वर्ष 2025, कम्प्यूटर सं० टी20251429050039 का विनिश्चय करने के निदेश के संबंध में है।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह वर्क किया गया है कि यद्यपि पर्याप्त समय पहले ही बीत चुका है लेकिन आज की तिथि तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।
5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, संबंधित न्यायालय को सर्वथा विधि के अनुसार तथा अनावश्यक स्थगन दिये बिना पूर्वोक्त मामले का विनिश्चय करने का निदेश देते हुए वर्तमान याचिका को निटपाया जाता है जब तक कोई विधिक बाधा न हो।

जनवरी, 20, 2026
न्यायमूर्ति)

(प्रकाश पाड़िया,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"